भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 777

26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष चिकित्सा पद्धति हेतु शैक्षणिक संस्थान

777. श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत अवसंरचना विकास के लिए आवंटित निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा हरियाणा में विशेषकर सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आयुष चिकित्सा पद्धति हेतु शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए कोई विशेष अनुदान अथवा सहायता प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): देश में राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत अवसंरचनात्मक विकास के लिए सरकार द्वारा 2014-15 से 2023-24 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित निधि का ब्यौरा **संलग्नक** पर दिया गया है। एनएएम के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एकमुश्त निधि जारी की जाती है तथा मंत्रालय द्वारा कोई निधि जिला-वार जारी नहीं की जाती है।

(ख) से (घ): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है और तदनुसार हरियाणा में आयुष पद्धति के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करना संबंधित राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। हालांकि, एनएएम के तहत, उन राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को वित्तीय सहायता का प्रावधान है, जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है। एनएएम के तहत, एसएएपी के माध्यम से हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2017-18 के दौरान अंबाला जिले के चांदपुरा में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और वर्ष 2018-19 के दौरान नूंह जिले के अकेरा में यूनानी कॉलेज के लिए स्वीकृति दी है, जिसके लिए आयुष मंत्रालय ने क्रमशः 360.00 लाख रुपये और 540.00 लाख रुपये जारी किए हैं। हालाँकि, आयुष मंत्रालय को सोनीपत संसदीय क्षेत्र में किसी भी आयुष शिक्षा संस्थान की स्थापना के लिए एसएएपी के माध्यम से हरियाणा राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****

संलग्नक

देश में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत अवसंरचना विकास के लिए सरकार द्वारा 2014-15 से 2023-24 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटित निधि का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम**	**आवंटित निधि (लाख रुपए में)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	364.599
2	आंध्र प्रदेश	2918.362
3	अरुणाचल प्रदेश	2137.75
4	असम	7684.603
5	बिहार	2245.7188
6	चंडीगढ़	849.674
7	छत्तीसगढ़	6547.5963
8	दादरा और नागर हवेली व दमण और दीव	401.891
9	दिल्ली	214.733
10	गोवा	1252.1504
11	गुजरात	5876.10701
12	हरियाणा	4411.8494
13	हिमाचल प्रदेश	7334.3505
14	जम्मू-कश्मीर	7352.317
15	झारखंड	5703.423
16	कर्नाटक	6863.27598
17	केरल	8719.5667
18	लक्षद्वीप	418.604
19	मध्य प्रदेश	12503.0538
20	महाराष्ट्र	5578.45
21	मणिपुर	5485.505
22	मिजोरम	1150.414
23	मेघालय	3371.192
24	नागालैंड	3813.563
25	ओडिशा	3992.096
26	पुडुचेरी	1515.377
27	पंजाब	1136.967
28	राजस्थान	11229.364
29	सिक्किम	2345.051
30	तमिलनाडु	6611.042
31	तेलंगाना	5387.81085
32	त्रिपुरा	2445.825
33	उत्तर प्रदेश	37767.1796
34	उत्तराखंड	6476.0054
35	पश्चिम बंगाल	7276.97001
36	लद्दाख	164.644
	कुल	**189547.0808**